न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय

अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/84/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/203

राजस्थान सरकार

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री रघु यादव,
निवासी–डी–3, नवलखा अपार्टमेण्ट,
भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 24.11.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 27.12.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 29.09.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक: 10.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को आवेदन दिनांक: 29.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक: 08.11.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही ई–मेल के जरिये भी जवाब–नोटिस प्रेषण हेतु सूचित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक: लोक सूचना/2021/140 दिनांक: 24.12.2021 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को पत्र सं. 2591 दिनांक: 22.10.21 के माध्यम से पंजीकृत–पत्र के जरिये सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। सूचना की ताकीद में डाक विभाग की रसीद भी संलग्न कर प्रस्तुत की गई है।
6. अस्तु अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दिए जाने के कारण अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथापि अपीलार्थी द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के क्रम में लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व प्रेषित सूचना, उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी को पुनः रजिस्टर्ड डाक से नियमानुसार अधिप्रमाणित कर प्रेषित की जावे।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. निर्णय घोषित ।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)